हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
जो
तामील

उक्त वाद जो निर्णयार्थ हेतु पेश किया गया है स्थगन के कारण रिकार्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए उक्त वाद पत्र की कार्यवाही माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय इकसाना में विचाराधीन वाद के निर्णय तक उक्त वाद को स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए उक्त वाद की कार्यवाही को इसी स्तर पर सिविल न्यायालय की स्थगन होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। वाद पत्र को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय इकसाना में विचाराधीन वाद पत्र के पश्चात पुनः वाद दायर करके कार्यवाही करेंगे व राज्य इस प्रकरण के निर्णय सुनाए किया जाता है। आदेश आज खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

[signature]
13/12/19

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Kumawat
Date: 2020.02.07 15:29:46 IST
Reason: SelfAttested